भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3401

दिनांक 21.03.2023 को उत्तरार्थ

जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था

3401. श्री रोड़मल नागर:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास के संबंध में एक नई योजना पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजातीय बहुल क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) पंचायती राज मंत्रालय (i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय प्रायोजित योजना, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को क्षमता निर्माण और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों और ग्राम पंचायत भवन और कम्प्यूटरीकरण जैसे बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान करते हुए मजबूत करना है (ii) पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (आईओपी), पंचायती राज संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करने के लिए आरजीएसए योजना के घटक, जिसके तहत सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं की प्रदायगी में सुधार

के लिए उनके अच्छे काम की मान्यता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं, और (iii) ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना, आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक जिसके तहत पीआरआई के समग्र परिवर्तन के लिए पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए पंचायतों के डिजिटलीकरण के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाता है, को कार्यान्वित कर रहा है। (योजना के तहत राज्यों को कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है)। ये योजनाएँ मध्य प्रदेश राज्य और इसके जनजातीय क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई हैं।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए कई योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) को कार्यान्वित कर रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY)' नामक एक योजना लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य कम से कम 50% जनजातीय आबादी वाले 36,428 गाँवों और अधिसूचित एसटी वाले राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से 500 एसटी का एकीकृत विकास करना है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से उम्मीद की जाती है कि वे ग्रामीणों के साथ सक्रिय परामर्श के साथ अपनी ग्राम विकास योजना तैयार करेंगे, और इसे ग्राम सभा/पंचायत/ग्राम परिषद द्वारा अपनाया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफ़आरए) को भी प्रशासित कर रहा है, जिसमें ग्राम सभा को वास्तविक वनवासी अनुसूचित जनजाति (एफडीएसटी) और अन्य पारंपरिक वन निवासी (ओटीएफडी)को दिए जाने वाले परिकल्पित अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन के अधिकार शामिल हैं, जिसे वे स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित करते रहे हैं।

***